जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 08.08.2025

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 293/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सनी देवल पुत्र चंदू निवासी ग्राम सांगठ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 08.08.2025 को ग्राम सांगठ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 04.08.2025 को थाना बखिरा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को घर से बहला-फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 08.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, हे0का0 सर्वजीत यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 169 वाहनों से 1,98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 169 वाहनों से 1,98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2025 धारा 126(2)/191(2)/193(3)/352/351(3)/103(1)/3(5)/115(2)/61(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता मोहम्मद जाकिर खान पुत्र साकिर अली निवासी भरपुरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 08.08.2025 को एसपी आफिस के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूर्व में दिनांक 27.02.2025 को 03 अभियुक्तगणों 1.नाजिम खान पुत्र साकिर अली साकिन भरपुरवा, 2.सलमान अंसारी पुत्र नाजिम अली निवासी मिया मंझरिया, 3.रामरतन यादव उर्फ भुवर यादव पुत्र माता प्रसाद यादव उर्फ झिनक यादव निवासी ग्राम भैंसहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया था।

विदित हो कि दिनांक 25.02.2025 को वादी अमानुल्लाह खान पुत्र नईम खान निवासी भरपुरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि उनके पुत्र हासिम के साथ गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, का0 कृष्णनरायण गोंड, का0 अरमान खान।**

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहम्मद अकमल पुत्र मोहम्मद ईदरीश निवासी पटखौली टोला अंसार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को मुस्तफाबाद नहर के पास के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 724/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, हे0का0 हरिप्रकाश, का0 संजय प्रसाद, का0 अनूप शर्मा।